संख्या-427/2023/14/22-2-2023-17(387)/2023

प्रेषक,

कृष्ण कुमार सिंह,
उप सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 लखनऊ दिनांक 28 जून, 2023

विषय:-जिला कारागार, हरदोई में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी विक्रम सिंह उर्फ पतन्ने पुत्र श्री शिवराम, निवासी जनपद-फर्रूखाबाद की फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-40405/प्रोबेशन-3-फार्म-ए/(एम-00.11.2022), दिनांक-30.12.2022 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार जिला कारागार, हरदोई में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी विक्रम सिंह उर्फ पतन्ने पुत्र श्री शिवराम, ग्राम-परमनगर, थाना-कमालगंज, जनपद-फर्रूखाबाद का निवासी है। बंदी द्वारा दिनांक 22.05.2005 को 06 अन्य सहअभियुक्तों के साथ मिलकर अवधेश कुमार नामक व्यक्ति का अपहरण कर पांच लाख रूपये फिरौती की मांग की गयी। पुलिस कार्यवाही में अभियुक्तगण को अवैध हथियार सहित गिरफ्तार कर अपहृत अवधेश को छुड़ाया गया। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-839/2005 में भा0द0वि0 की धारा-364ए के अन्तर्गत मा0 न्यायालय ए0एस0जे0/एफ0टी0सी0-03, हरदोई के आदेश दिनांक 14.12.2007 द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित किया गया, जिसे मा0 उच्च न्यायालय, लखनऊ खण्डपीठ लखनऊ के आदेश दिनांक 12.09.2016 द्वारा उक्त सजा को यथावत रखा गया है। बंदी द्वारा दिनांक 26.09.2022 तक 17 वर्ष 03 माह 26 दिन की अपरिहार तथा 22 वर्ष 01 माह 28 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, फर्रूखाबाद ने बंदी का अपराध समाज को व्यापक रूप से प्रभावित करने, भविष्य में अपराध करने की प्रबल सम्भावना होने, पुन: अपराध कर सकने की आख्या अंकित करते हुए समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

प्रोबेशन बोर्ड का अभिमत है कि जिला प्रशासन की रिपोर्ट में बन्दी की रिहाई न किए जाने का कोई ठोस कारण परिलक्षित नहीं होता है। बन्दी द्वारा दिनांक 26.09.2022 तक भोगी गयी अपरिहार 17 वर्ष, 03 माह, 26 दिन तथा सपरिहार 22 वर्ष, 01 माह, 28 दिन की सजा, जेल आचरण सन्तोषजनक व सुधारात्मक होने, बन्दी का अभिभावक बन्दी को संरक्षण में रखने में उपयुक्त होने तथा जिला मजिस्ट्रेट, पुलिस अधीक्षक एवं प्रोबेशन अधिकारी द्वारा समिति की आख्या में बन्दी की समयपूर्व रिहाई का विरोध किये जाने का कोई ठोस तथ्यात्मक आधार/आख्या अंकित नहीं किये जाने के दृष्टिगत प्रिजनर्स रिलीज आंन प्रोबेशन एक्ट-1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बंदी विक्रम सिंह उर्फ पतन्ने पुत्र श्री शिवराम को फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति की गयी है।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

3- अतः उपरोक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि जिला कारागार, हरदोई में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी विक्रम सिंह उर्फ पतन्ने (बन्दी संख्या-1788/07) पुत्र श्री शिवराम, निवासी जनपद-फर्रूखाबाद के फार्म-ए/लाईसेंस पर यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आंन प्रोबेशन एक्ट,1938 की धारा-2 के प्राविधानों के अन्तर्गत समयपूर्व रिहा किये जाने की संस्तुति सम्यक् विचारोपरान्त राज्यपाल महोदया द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है। तदनुसार उसके फार्म-ए पर शासन के आदेश अंकित करके एतद्द्वारा वापस लौटाया जा रहा है। कृपया प्राप्ति स्वीकार करते हुए शासन के निर्णय से बन्दी को तत्काल अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्नकः यथोपरि।

(बन्दी का फार्म-ए एवं समस्त पत्रादि सहित)

भवदीय,
कृष्ण कुमार सिंह
उप सचिव।

संख्या-427/2023/14(1)/22-2-2023 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- जिला मजिस्ट्रेट, फर्रूखाबाद।

2- अधीक्षक, जिला कारागार, हरदोई।

3- नोडल अधिकारी/अधीक्षक, जिला कारागार, गाजियाबाद को रिट याचिका (क्रि0) सं0-338/2022 मनोज यादव व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में पारित आदेश दिनांक 16.09.2022 एवं दिनांक 20.01.2023 के सन्दर्भ में।

4- निजी सचिव, मा0 राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार), कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 मंत्री जी को सूचनार्थ।

5- निजी सचिव, मा0 राज्य मंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 मंत्री जी को सूचनार्थ।

6- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
अजय कुमार तिवारी
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

शासनादेश संख्या-427/2023/14/22-2-2023-17(387)/2023

दिनांक 28 जून, 2023 का संलग्नक

सरकार के आदेश

जिला कारागार, हरदोई में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी विक्रम सिंह उर्फ पतन्ने पुत्र श्री शिवराम, ग्राम-परमनगर, थाना-कमालगंज, जनपद-फर्रूखाबाद का निवासी है। बंदी द्वारा दिनांक 22.05.2005 को 06 अन्य सहअभियुक्तों के साथ मिलकर अवधेश कुमार नामक व्यक्ति का अपहरण कर पांच लाख रूपये फिरौती की मांग की गयी। पुलिस कार्यवाही में अभियुक्तगण को अवैध हथियार सहित गिरफ्तार कर अपहृत अवधेश को छुड़ाया गया। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-839/2005 में भा0द0वि0 की धारा-364ए के अन्तर्गत मा0 न्यायालय ए0एस0जे0/एफ0टी0सी0-03, हरदोई के आदेश दिनांक 14.12.2007 द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित किया गया, जिसे मा0 उच्च न्यायालय, लखनऊ खण्डपीठ लखनऊ के आदेश दिनांक 12.09.2016 द्वारा उक्त सजा को यथावत रखा गया है। बंदी द्वारा दिनांक 26.09.2022 तक 17 वर्ष 03 माह 26 दिन की अपरिहार तथा 22 वर्ष 01 माह 28 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, फर्रूखाबाद ने बंदी का अपराध समाज को व्यापक रूप से प्रभावित करने, भविष्य में अपराध करने की प्रबल सम्भावना होने, पुनः अपराध कर सकने की आख्या अंकित करते हुए समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

प्रोबेशन बोर्ड का अभिमत है कि जिला प्रशासन की रिपोर्ट में बन्दी की रिहाई न किए जाने का कोई ठोस कारण परिलक्षित नहीं होता है। बन्दी द्वारा दिनांक 26.09.2022 तक भोगी गयी अपरिहार 17 वर्ष, 03 माह, 26 दिन तथा सपरिहार 22 वर्ष, 01 माह, 28 दिन की सजा, जेल आचरण सन्तोषजनक व सुधारात्मक होने, बन्दी का अभिभावक बन्दी को संरक्षण में रखने में उपयुक्त होने तथा जिला मजिस्ट्रेट, पुलिस अधीक्षक एवं प्रोबेशन अधिकारी द्वारा समिति की आख्या में बन्दी की समयपूर्व रिहाई का विरोध किये जाने का कोई ठोस तथ्यात्मक आधार/आख्या अंकित नहीं किये जाने के दृष्टिगत प्रिजनर्स रिलीज आंन प्रोबेशन एक्ट-1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बंदी विक्रम सिंह उर्फ पतन्ने पुत्र श्री शिवराम को फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति की गयी है, किन्तु सम्यक् विचारोपरान्त राज्यपाल महोदया द्वारा बंदी की फार्म-ए/लाइसेंस के आधार पर समयपूर्व रिहाई अस्वीकार कर दी गयी है।

कृष्ण कुमार सिंह
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।